उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–36/2022–23

सरकार

बनाम्

मो0 सरफराज आलम

–: आदेश :–

दिनांक 21/12/22	अभिलेख उपस्थापित किया गया। मामला पथरगामा थाना काण्ड संख्या–81 / 2022 दिनांक–25.05.2022 से संबंधित है। विपक्षी मो0 सरफराज आलम ने जप्त वाहन हाईवा निबंधन सं0–WB65B-5695, को विमुक्त करने के लिए जुर्माना की राशि 80000.00 (अस्सी हजार) रू0 का रसीद की प्रतिं, दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र के रूप में वाहन–WB65C-0761 से संबंधित कागजात, शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात दाखिल किया है। अतः दाखिल जुर्माना राशि एवं दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र एवं शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उसमें लदे बालू को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है। विमुक्ति हेतु आदेश की प्रति सभी संबंधित को निर्गत करें। लिखाया एवं शुद्ध किया। उपायुक्त, गोड्डा। उपायुक्त, गोड्डा।

CC No:- 36/22-23
सरकार v/s मो० सरफराज आलम

<u>समाहरणालय, गोड्डा।</u>

<u>जिला विधि शाखा, गोड्डा।</u>

डी0बी0:— 160 दिनांक:— 21.12.2022

प्रतिलिपि:— थाना प्रभारी, पथरगामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
गोड्डा।

21.12.22

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अभिहरण वाद संख्या–36/2022–23

सरकार

बनाम्

मो0 सरफराज आलम

—: आदेश :—

दिनांक 23/9/22

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला पथरगामा थाना काण्ड संख्या–81/2022 दिनांक–25.05.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–2537/अप0शा0 दिनांक–01.07.2022 से धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त हाईवा निबंधन सं0–WB65B-5695 तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी मेघलाल टुडू, जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त हाईवा निबंधन सं0–WB65B-5695, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त हाईवा निबंधन सं0–WB65B-5695, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त हाईवा निबंधन सं0–WB65B-5695, के मालिक मो0 सरफराज आलम, पिता–मो0 अफसन हुसैन, पता–एस0 दे फुलबाड़ी इंग्लिश बाजार, मालदा, पश्चिम बंगाल, वर्तमान पता–फसिया डंगाल, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त हाईवा निबंधन सं0–WB65B-5695 एवं उस पर बालू के

विरूद्ध धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी मो0 सरफराज आलम का कथन है कि उनके वाहन को बालू के अवैध परिवहन के आरोप में जप्त किया गया है, लेकिन विपक्षी के वाहन के साथ बालू के संबंध में सभी वैध कागजात थे। महादेव ईक्लेव प्रा0लि0 द्वारा जारी किया हुआ चालान संख्या–17676122052305350646З वाहन के साथ था। अग्रिम जमानत के समय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम के द्वारा सत्यापन कराया गया और चालान के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है कि चालान वास्तविक है और उसी के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम के द्वारा जमानत स्वीकार किया गया। इसलिए बालू चोरी का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने जप्त वाहन को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध बालू प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है। पथरगामा थाना काण्ड संख्या–81/2022 दिनांक–25.05.2022, भा0द0वि0 की धारा–379/411/34 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 4/54 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 तथा झारखण्ड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के तहत जप्त कर पथरगामा थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि हाईवा निबंधन सं0–WB65B-5695 को बालू का अवैध तरीके से परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। वाहन जप्ती के समय कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन अवैध तरीके से बालू के परिवहन में संलिप्त पाया गया है। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जिला खनन पदाधिकारी,

गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि 80000.00 (अस्सी हजार) रू0 जुर्माना राशि एवं दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त वाहन हाईवा निबंधन सं0–WB65B-5695 को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी जुर्माना की राशि जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में जमाकर रसीद की प्रति के साथ उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात दाखिल करेंगे। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा एवं अन्य संबंधित को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

डी0 सी0-108
28.10.22

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.12.30 11:32:02 +05:30
Location: 172.25.192.1